

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक : 15.05.17

संख्या- 3/एल-6-1-16/2015- 216 (3) /स्वा0, डा0 कुमार प्रेम चन्द्रा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोठिया, किशनगंज को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम-74(बी0)-सह-पठित वित्त विभागीय पत्रांक 6190 दिनांक 27.04.1979 में निहित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से इस शर्त के साथ ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि यदि बाद में कोई अवधि अविनियमित सिद्ध होती है तो उसकी जिम्मेवारी उनकी होगी और उसको विनियमित करने का आग्रह नहीं करेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / -

(रवीन्द्र यादव)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 3/एल-6-1-16/2015- 216 (3)

/स्वा0, पटना, दिनांक : 15.05.17

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अपर निदेशक, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/जिलाधिकारी, किशनगंज/सिविल सर्जन, किशनगंज/जिला कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज/डा0 कुमार प्रेम चन्द्रा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोठिया, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,3 एवं 9 को सूचनार्थ प्रेषित ।

• प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव

संजय
5.5.17